संचालनालय खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण

ब्लॉक–2, तृतीय तल, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.)
(Telephone-0771-2511974, email-directorateoffood@gmail.com, website- www.khadya.cg.nic.in)

क्रमांक 370 /वि.स./2024 नवा रायपुर, दिनांक 23/7/2024

प्रति,

1. **प्रबंध संचालक,**
   छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम,
   अटल नगर, नवा रायपुर,
2. **समस्त कलेक्टर,**
   छत्तीसगढ़

विषय– **विधानसभा ध्यानाकर्षण सूचना क्रमांक 212 द्वारा श्री कुंवर सिंह निषाद, सदस्य विधानसभा के संबंध में।**

कृपया विषयांतर्गत **विधानसभा ध्यानाकर्षण सूचना क्रमांक 212 द्वारा श्री कुंवर सिंह निषाद, सदस्य विधानसभा** की प्रति संलग्न प्रेषित है। उपरोक्त ध्यानाकर्षण सूचना की जानकारी यूनिकोड में सॉफ्ट कॉपी सहित जानकारी संचालनालय को आज ही उपलब्ध कराने का कष्ट करेंगे।

संलग्न – उपरोक्तानुसार

सहायक संचालक
खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उप.संर.

पृ. क्रमांक 371 /वि.स./2024 नवा रायपुर, दिनांक 23/7/2024

प्रतिलिपिः–

समस्त खाद्य नियंत्रक/खाद्य अधिकारी, छत्तीसगढ़।

सहायक संचालक
खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उप.संर.

क्रमांक 212

सचिव कलेक्टर
NAN

छत्तीसगढ़ विधानसभा

ध्यानाकर्षण सूचना

रायपुर, दिनांक 22/07/2024

प्रेषक :

श्री कुंवर सिंह निषाद,
सदस्य, विधानसभा,

प्रेषिती :

सचिव
छत्तीसगढ़ विधानसभा, रायपुर

विषय: खाद्य विभाग मे धान की कस्टम मिलिग की अवैध राशि की वसूली .

महोदय,

मै नियम 138(1) के अधीन आज दिनांक 20/07/2024 को खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण मंत्री महोदय का ध्यान निम्नलिखित अविलम्बनीय सार्वजानिक महत्त्व के विषय की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ और अनुरोध करता हूँ कि अध्यक्ष महोदय उसे उठाने की अनुज्ञा प्रदान करने की कृपा करेंगे.

खाद्य विभाग मे धान की कस्टम मिलिग की अवैध राशि की वसूली का ये आलम है कि ट्रांसफर-पोस्टिंग के नियमो को ताक मे रखकर केवल धान मिलिग की अवैध राशि की वसूली हेतु ट्रांसफर किये जा रहे हैं . विभाग के दो रिटायर सहायक खाद्य अधिकारी और खाद्य विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी की मिलीभगत से रायपुर जिले के प्रभारी खाद्य नियंत्रक को मार्च 2024 मे बिना सक्षम स्वीकृति लिये ट्रांसफर कर दिया गया और कस्टम मिलिग मे 3 रूपये क्विंटल की अवैध वसूली के लिये एक जूनियर अफसर को रायपुर जिले मे प्रभारी खाद्य नियंत्रक नियुक्त कर दिया गया. इस ट्रांसफर-पोस्टिंग के लिये न तो विभागीय सचिव, मंत्री की स्वीकृति ली गयी और न ही मुख्यमंत्री से अनुमोदन लिया गया. इस अवैध ट्रांसफर-पोस्टिंग से केवल रायपुर जिले मे कस्टम मिलिग और पीडीएस मे करोडो की वसूली की गई है, जिसकी जांच कराया जाना जरूरी है . खाद्य विभाग मे भ्रष्टाचार का आलम यह है कि मंत्री जी के ओएसडी को केवल 6 महीने मे बदल दिया गया क्योकि विभाग के 2 रिटायर सहायक खाद्य अधिकारियो के साथ मिलकर विभाग के अधिकारियो से अवैध वसूली के आरोप लगे हैं. इन अवैध वसूली के कारण राईस मिलरो से कस्टम मिलिग के बाद घटिया चावल लिया जा रहा है और इस साल केन्द्रीय जांच दल द्वारा प्रदेश के 13 जिले मे लिये गये 400 से अधिक सैपल फेल हो गये है लेकिन दोषी अधिकारियो और राईस मिलरो के खिलाफ कोई कार्रवाई नही की गयी है. खाद्य विभाग मे फैले इस भ्रष्टाचार से प्रदेश की जनता मे रोष-आक्रोश व्याप्त है ।

भवदीय

कुंवर सिंह निषाद
(क्षेत्र क्रमांक 61)

नोट: (1) नियम 138(2) के अनुसार जहाँ किसी सूचना पर एक से अधिक सदस्यों के हस्ताक्षर होंगे वहां यह समझा जायगा कि केवल पहले हस्ताक्षरकर्ता सदस्य ने सूचना दी है.

(2) अध्यक्ष के स्थाई आदेश क्रमांक 22(2) के अनुसार यह सूचना तीन प्रतियों में प्रस्तुत करना